—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 150/2024

उनवान

1. मौ0 तुफैलजमा पुत्र बदियुजम्मा
2. मौ0 साबिजमा पुत्र बदियुजम्मा
3. सुहैलजमा पुत्र बदियुजम्मा
4. केशवर नाहिदजमा पत्नी मौ0 सुहैलजमा
5. माजाजमा पत्नी तुफैलजमा
6. शारमीनजमा पत्नी मौ0 साकिबजमा समस्त जाति मुसलमान निवासी जी–16 गांधीनगर, नाका मदार, अजमेर।

——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

1. महेश बाबानी पुत्र राधाकिशन बाबानी जाति सिंधी निवासी म.न. 1020 दूधिया मौहल्ला, नसीराबाद
2. संजय पुत्र किरोडीमल जाति जाति खण्डेलवाल निवासी 307 थर्ड फलोर, फलोरेन्स अपार्टमेन्ट, प्रगति नगर, कोटडा, अजमेर।
3. सुरेश अग्रवाल पुत्र ब्रिजमोहन जाति अग्रवाल निवासी 2217, मोची बाजार, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
4 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 व भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 26.12.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानाखेडी के हाल खसरा नम्बर के उतर दिशा में वर्तमान राजस्व मानचित्र में 3 समानान्तर रेखाऐ खींच कर खसरा नम्बर 679 को पूर्व दिशा में रखा गया है। इसके उपरान्त खसरा नम्बर 679/3113 तथा उसके बाद 3193/679 को रखा गया हैं, इसके उपरान्त पूर्वी भुजा के अंतिम छोर पर खसरा नम्बर 3191/679 को रखा गया है। खसरा नम्बर 679 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम है। खसरा नम्बर 679/3113 वादी संख्या ... के नाम है खसरा नम्बर 3193/679 वादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 3191/679 राजमार्ग के नाम अंकित है। खसरा नम्बर 3193/679 प्रतिवादी ... प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम गलत अंकित कर दिया है। वर्तमान नक्शा ... अनुरूप वादी की सम्पत्ति खसरा नम्बर 679/3113 को प्रभावित करते हुये खसरा नम्बर 3193/679 व 679 की ... रेखा को विस्तारित कर दिया है। वादीगण का हिस्सा संकुचित कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:09:53 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

का राजस्व मानचित्र दुरूस्त किया जावे। हाल खसरा नम्बर 3193/679 को खसरा नम्बर 679 के पूर्वी ओर सटते हुये अंकित किया जावे। खसरा नम्बर 3193/679 के स्थान पर खसरा नम्बर 679/3113 अंकित किया जावे। वादी की समस्त भूमि एक ही चक के रूप में अंकित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जरियें विक्रय पत्र खसरा नम्बर 679 रकबा 0.0420 भूमि क्रय की व क्रयशुदा खसरा नम्बर 683/2991 के लगायत दक्षिध्?ण दिशा में स्थित है। खसरा नम्बर 679 के पूर्व में राजमार्ग व पश्चिम मे 681 उतर में खसरा नम्बर 683/2991 व दक्षिण में 679/2913, 3183/679 व 3192/679 स्थित है। जिसको सही अंकन कर खसरा नम्बर 679 को खसरा नम्बर 683/2991 के लगायत राजस्व मानचित्र में दर्ज करना आवश्यक हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विक्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 679 रकबा 0.0420 को भी राजस्व मानचित्र में सही अंकन किया जावें। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी वाद में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम कानाखेडी के हाल खसरा नम्बर 679 रकबा 0.0420 व 3193/679 रकबा 0.0280 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी में है।खसरा नमबर 679/3113 रकबा 0.323 वादी संख्या 4 से 6 के नाम तथा खसरा नम्बर 3192/679 रकबा 0.0377 वादी संख्या 1 से 3 के नाम अंकित है। उक्त आराजी का राजस्व मानचित्र में अंकन बंदोबस्त विभाग द्वारा नही किया गया वरन् राजस्व मानचित्र में आराजी मुतनाजा का अंकन सेग्रीगेशन के तहत किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो ही हाल राजस्व मानचित्र को त्रुटिपूर्ण होने का कथन करते है। किन्तु आराजी मुतनाजा का सही स्थिति का मानचित्र पत्रावली में पेश नही किया गया है। हाल खसरा नम्बर 3192/679 राजस्व अभिलेख अनुसार अकृषि भूमि है। उक्त आराजी के संपरिवर्तन के समय का राजस्व मानचित्र व संपरिवर्तन आदेश भी पेंश नही किया गया है। संपरिवर्तन भूमि का बाद सपंरिवर्तन राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती हेतु वादीगण द्वारा पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। शेष आराजी कृषि भूमि है किन्तु राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती हेतु वादी को पूर्ण साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने थे जो उनके द्वारा नही किये गये है। अतः वादी राजस्व मानचित्र दुरूस्ती का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम कानाखेडी के हाल खसरा नम्बर 679, 3193/679, 679/3113, 3191/679 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:09:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मौ0 तुफैलजमा बनाम महेश बाबानी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 150/2024
पेश करने की दिनांक – 23.07.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक कैलाश बीजावत मुद्दई रनतेश यादव व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानाखेडी के हाल खसरा नम्बर 679, 3193/679, 679/3113, 3192/679 की आराजीर पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 1 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:09:53 IST
Reason: SelfAttested